

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषय:- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि की क्रय नीति में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-131/क०प्र०से०/कय नीति/ 2014 दिनांक 23.09.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के कय हेतु नीति निर्धारण के संबंध में शासनादेश संख्या-2379/सैंतीस-2-2004-33(5)/84, दिनांक 05.08.2004 एवं समय-समय पर इसमें किये गये संशोधनों एवं परिवर्धनों में यह व्यवस्था दी गयी है कि औषधि का क्रय लाइसेन्सधारक निर्माता फर्मों से ही किया जायेगा। रीपैकिंग लाइसेन्सधारकों से औषधि क्रय प्रतिबन्धित होने के कारण विगत वर्षों में इस श्रेणी की औषधियों की दर निर्धारित न हो पाने के फलस्वरूप पशुचिकित्सालयों पर इनकी उपलब्धता नहीं हो सकी। इसे नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया है।

3- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है, कि ऐसी औषधियाँ, जो पशुचिकित्सालयों की आवश्यकतानुसार छोटी मात्रा में रीपैकिंग लाइसेन्सधारियों के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, की क्रय-प्रक्रिया में मूल निर्माता लाइसेन्सधारक के साथ-साथ रीपैकिंग लाइसेन्सधारक भी निविदा में भाग लेने के लिए अर्ह होंगे। अन्य औषधियों के मामले में रीपैकिंग लाइसेन्सधारक अर्ह नहीं होंगे।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

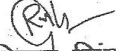
(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2753(1)/सैंतीस-2-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. अपर निदेशक, बी०पी० संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (गोधन विकास) पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

4. संयुक्त निदेशक(रोग नियंत्रण) पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. उद्योग निदेशक, उ०प्र० कानपुर।
6. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन/प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ०प्र० पं० दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा।
7. मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ०प्र० लखनऊ।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
10. उपनिदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-7/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।